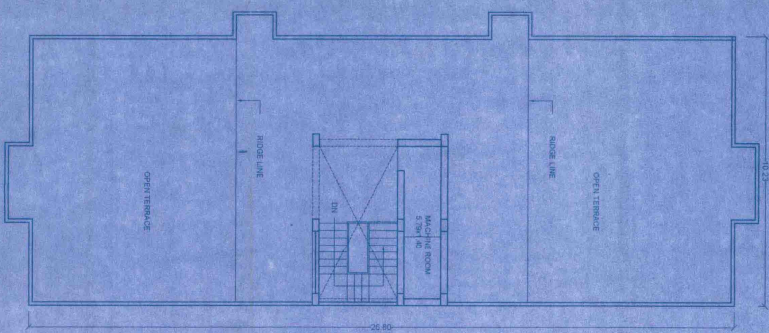
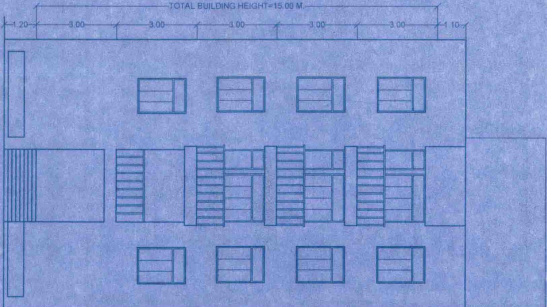


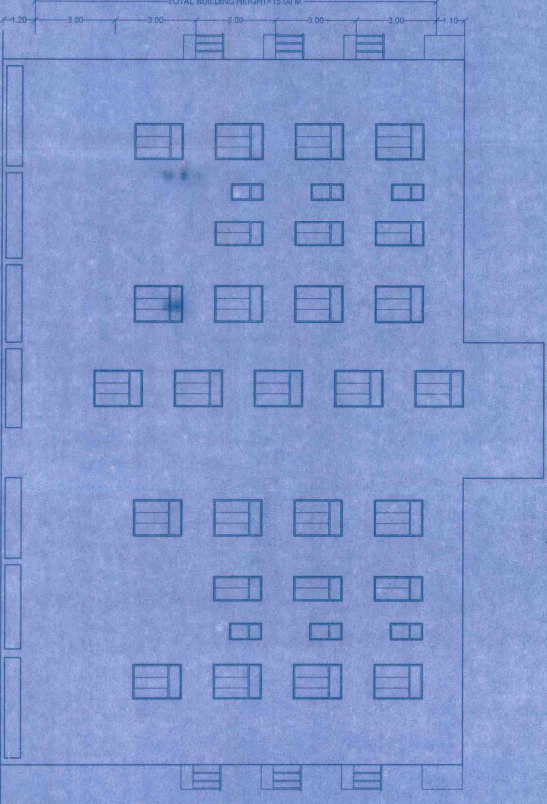
TERRACE FLOOR PLAN



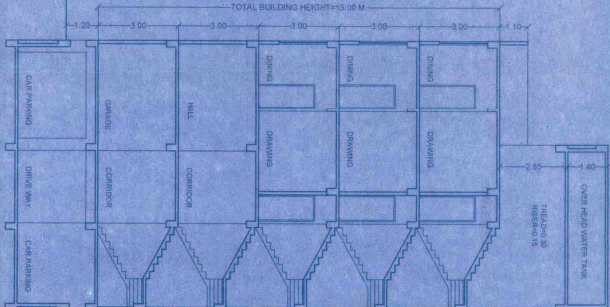
FRONT ELEVATION



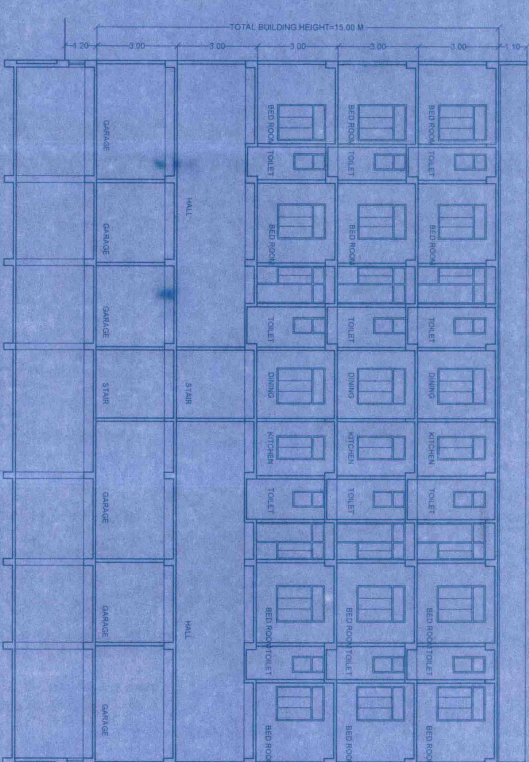
SIDE ELEVATION



SECTION ON = A - A



SECTION ON = B - B



FIRE LEGEND

- UNDERGROUND WATER STATIC TANK
- SEWAGE CONNECTION
- HYDRANT POINT
- HOLE RISEL
- FIRE RESISTANCE CHECK DOOR
- EMERGENCY LIGHT
- ILLUMINATED EXIT SIGN
- MANUAL CALL ALARM SYSTEM
- OVER HEAD WATER STATIC TANK OF 10,000 LTRS
- FOOT FIRE FIGHTING
- SPRINKLER'S INSTALLATION

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING FOR
 (1) SRI SAKUNY KUMAR, (2) SRI ALAY KUMAR
 (3) SRI ABHAY KUMAR, ALL SONS OF LATE AWADH BHARI
 PRASAD, AT MANUZA-JALALPUR, THANA NO. 22, PLOT NO. 76,
 KHATA NO. 188, TAZU NO. 5525, DIST. PATNA

DEVELOPER
 M/S KAMINI ENGINEERS PVT. LTD.
 DIRECTOR SRI JAVED ALI KHAN, SO
 LATE LATIFUR RAHMAN KHAN

SON OF OWNER/DEVELOPER
SHALINDRA KUMAR
 SIGNED
DR. ANIRBAN RACHHANSI
 CAP. NO. 23175

Scale: 1:100, 1:200
 SHEET NO. 02
 Date: 09/12/18
 Design: 09/12/18
 Checked: 09/12/18
 Approved: 09/12/18
 Project: 09/12/18
 Location: 09/12/18
 Client: 09/12/18
 Designer: 09/12/18
 Checker: 09/12/18
 Approver: 09/12/18
 Project: 09/12/18
 Location: 09/12/18
 Client: 09/12/18
 Designer: 09/12/18
 Checker: 09/12/18
 Approver: 09/12/18

नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 87.18 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त अक्षर के रूप में देना।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमन्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित यावत् साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की यावत् कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) अन्य शर्तें

विहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं विहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

६०-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापक:- ०९...../दिनांक:- २६/०५/२०१७

प्रतिलिपि:- श्री संजय कुमार, श्री अजय कुमार, श्री अभय कुमार, पिला-स्व0 अवध विहारी प्रसाद, डेनलपर्स-मेसर्स कामीनी इन्जिनों प्रा0 लि0, डाइरेक्टर-श्री जावेद अली खाँ, पिला-स्व0 लतीपुर रहमान, पला-जी-1, राज मेसन, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, पटना को सूचनाई प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

२९/५/१७

आप के आवेदन संख्या- 379 तिथि- 28.02.2017 के संदर्भ में /

श्री संजय कुमार, श्री अजय कुमार, श्री अभय कुमार, पिला-स्व0 अवध विहारी प्रसाद, डेनलपर्स-मेसर्स कामीनी इन्जिनों प्रा0 लि0, डाइरेक्टर-श्री जावेद अली खाँ, पिला-स्व0 लतीपुर रहमान, पला-जी-1, राज मेसन, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, पटना।

(क) आवासीय भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनर्निर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु नगर परिषद दानापुर विहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित स्कीम के ३३३. लॉट नं0-70, खाला नं0- 158, तैजी नं0-5525, धाना नं0- 22, मौजा- जलालपुर, पला-धाना-दानापुर जिला- पटना के यावत् निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-०९.../१५-1८ तथा जिसका निर्माण क्षेत्रफल 1492.46 वर्ग मीटर है, में B+G+4 भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाती है:-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के प्लानिफिकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 510.00 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 17.48 मी0 चौड़ाई के अनुमोदित गहूँ मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्थापित एवं शालिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या विहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ